राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 2420/2024

सुचि सरदाना पत्नी रोहित भाटिया, उम्र लगभग 34 वर्ष, पुत्री रमेश सरदाना, निवासी बी1/37 सुदर्शन नगर गांधी के पीछे कॉलोनी, बीकानेर

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. हरीश भाटिया पुत्र नंदलाल भाटिया, निवासी न्यू मेट्रो होटल 36 गांधी ग्राउंड स्टेशन, बीकानेर। वर्तमान प्लॉट नंबर 54 हरिओम विहार, जगतपुरा, जयपुर

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री एच.एस. श्रीमाली

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री एस.आर. चौधरी, पीपी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

18/09/2024

1. याचिकाकर्ता विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 6, बीकानेर द्वारा सीआर पुनरीक्षण संख्या 18/2022 में पारित दिनांक 24.01.2024 के आदेश से व्यथित है, जिसके तहत पुनरीक्षण अदालत ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया।

2. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पुनरीक्षण याचिका सीआर.सी. संख्या 3221/2021 में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, बीकानेर द्वारा पारित दिनांक 08.04.2022 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत आरोपों का संज्ञान लिया था।

3. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि 20.02.2020 को याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2, (जो उसके ससुर हैं) के खिलाफ पुलिस थाना सदर, बीकानेर में आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के

तहत अपराध का आरोप लगाते हुए पुलिस शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत शिकायत संख्या 96/2020 पर दर्ज की गई थी। जांच के बाद, पुलिस ने प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ 14.02.2021 को आरोप पत्र दायर किया, जिसमें उन्होंने आईपीसी की धारा 420, 468, 471 और 193 को शामिल किया।

3.1 13.07.2021 को विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, बीकानेर ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र की जांच के बाद आरोपों का संज्ञान लिया। इस प्रकार उन्होंने दिनांक 08.04.2022 के आदेश के तहत प्रतिवादी संख्या 2 अभियुक्त के विरुद्ध आगे की कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए।

3.2 व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 2 ने पुनरीक्षण याचिका दायर की। पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, बीकानेर द्वारा पारित दिनांक 08.04.2022 के आदेश को अपास्त करते हुए तथा मामले को पुनः सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेजते हुए इसे अनुमति दी गई। अतः यह याचिका।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक को सुना है तथा केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अन्य बातों के साथ-साथ इस तर्क पर आधारित है कि यदि विचाराधीन दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ नहीं है तो जालसाजी के आरोप नहीं लगाए जा सकते। श्रीनिवास पंडित धर्माधिकारी बनाम महाराष्ट्र राज्यः (1980) 4 एससीसी 551 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए पुनरीक्षण न्यायालय ने पाया कि आधार कार्ड में गलत प्रविष्टियों से उत्पन्न आरोपों को निर्धारित करने के लिए विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित आदेश संधारणीय नहीं है। परिणामस्वरूप, विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी गई और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया गया।

5. मेरी राय में, विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने निकाले गए निष्कर्षों और लिए गए दृष्टिकोण के लिए ठोस और पर्याप्त कारण दिए हैं। वे रिकॉर्ड और लागू कानून के अनुरूप हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश के लिए कोई अवैधता या प्रक्रियात्मक अनियमितता घातक है। मैं दर्ज किए गए कारणों और विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हूं।

6. इस आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

7. खारिज की जाती है।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।